न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 559 सन 2021

अनवान :–

1. भरतसिह पुत्र महेन्द्रसिह जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. नारायणी पत्नी रामदयाल जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र महेन्द्रसिह जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
3. यागेश कुमार पुत्र दीपचन्द जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
4. संजीव कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

6. महेन्द्रसिह पुत्र रामदयाल जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
7. दीपचन्द पुत्र रामदयाल जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
8. ओमप्रकाश पुत्र रामदयाल जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।

तरतीवी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 29/08/2022

सक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 58/104 की कुल 3.7940हैक से 1/2 हिस्सा, रोही मोजा आपूवाला के खाता संख्या 11/10 की कुल 15.0870हैक में से 1012/15087 हिस्सा व खाता संख्या 25/23 की कुल 16.2380हैक भूमि में से 22447/81190 हिस्सा भूमि भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की दादी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा रामदयाल ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातो की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी की दादी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यो का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,6 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,6 ता 8 एक ही परिवार के सादस्य है जिन्होने आपसी सहमति से बाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया बाहमी बटवारा में वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को प्राप्त हुई एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 को अन्य गांव में भूमि प्राप्त हुई है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 , 6 ता 8 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,6 ता 8 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की दादी है के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,6 ता 8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,6 ता 8 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनकी दादी/माता के नाम से दर्ज है जो वादी के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

दादा/पिता रामदयाल ने सयुक्त परिवार की सम्पति /आय से वाद भूमि वादी की दादी के नाम से दर्ज करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की सम्पति है अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,6 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका आपसी सहमति से वाद भूमि के अलावा अन्य भूमियो के साथ बाहमी बटवारा कर लिया बाहमी बटवारा में वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को प्राप्त हुई एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 को अन्य गांव में भूमि प्राप्त हुई जो उन्होने अपने नाम दर्ज करवा ली है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया है।एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 58/104 की कुल 3.7940हैक से 1/2 हिस्सा, रोही मोजा आपूवाला के खाता संख्या 11/10 की कुल 15.0870हैक में से 1012/15087 हिस्सा व खाता संख्या 25/23 की कुल 16.2380हैक भूमि में से 22447/81190 हिस्सा भूमि भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की दादी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा रामदयाल ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी की दादी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यो का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,6 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,6 ता 8 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने आपसी सहमति से बाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया बाहमी बटवारा में वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को प्राप्त हुई एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 को अन्य गांव में भूमि प्राप्त हुई है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 , 6 ता 8 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,6 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारो के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णत्या चस्पा होते है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 58/104 की कुल 3.7940हैक से 1/2 हिस्सा, रोही मोजा आपूवाला के खाता संख्या 11/10 की कुल 15.0870हैक में से 1012/15087 हिस्सा व खाता संख्या 25/23 की कुल 16.2380हैक भूमि में से 22447/81190 हिस्सा भूमि भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की दादी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उनकी दादी/माता के नाम से दर्ज है जो वादी के दादा/पिता रामदयाल ने सयुक्त परिवार की सम्पति /आय से वाद भूमि वादी की दादी के नाम से दर्ज करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की सम्पति है अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

संख्या 1 ता 4 ,6 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,6 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,6 ता 8 ने वाद भूमि के साथ अन्य ग्राम /चक में स्थित भूमि का आपसी सहमति से भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा कर लिया जिसमें वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को प्राप्त हुई एवं अन्य ग्राम चकों की भूमि प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 को प्राप्त हुई जो उन्होने अपने नाम दर्ज करवा ली है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्तों के अनुसार यह साबित होता है कि सयुक्त परिवार की सम्पति एवं कृषि भूमि की आय से यदि कोई सम्पति या कृषि भूमि खरीद कर परिवार के मुख्या के नाम से करवाई जाती है तो उसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है की सयुक्त परिवार की आय एव पैतृक सम्पति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पति भी पैतृक सम्पति की श्रेणी आती है अर्थात परिवार के सभी सदस्यो के हक हिस्सा की भूमि है वादी भूमि पैतृक सम्पति साबित होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है ।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,6 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 11/10 की कुल 15.0870हैक भूमि में से 1012/15087 हिस्सा अर्थात 1.0120हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अकेली खातेदार काश्तकार रहेगी एव रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 58/104 की कुल 3.7940हैक में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 0.632हैक , प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1.265हैक भूमि का खातेदार काश्तकार रहेगा एव रोही मोजा आपूवाला के खाता संख्या 25/23 की कुल 16.2380हैक भूमि में से 22447/81190 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नामदर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1.9594हैक एव प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 3 अकेला 2.5300हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29/03/2012 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. भरतसिह पुत्र महेन्द्रसिह जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 नारायणी पत्नी रामदयाल जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र महेन्द्रसिह जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
3. यागेश कुमार पुत्र दीपचन्द जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
4. संजीव कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

6. महेन्द्रसिह पुत्र रामदयाल जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
7. दीपचन्द पुत्र रामदयाल जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
8. ओमप्रकाश पुत्र रामदयाल जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।

तरतीवी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 559 सन 2021 निर्णय दिनांक– 29/03/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 11/10 की कुल 15.0870हैक भूमि में से 1012/15087 हिस्सा अर्थात 1.0120हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अकेली खातेदार काश्तकार रहेगी एव रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 58/104 की कुल 3.7940हैक में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 0.632हैक , प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1.265हैक भूमि का खातेदार काश्तकार रहेगा एव रोही मोजा आपूवाला के खाता संख्या 25/23 की कुल 16.2380हैक भूमि में से 22447/81190 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नामदर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1.9594हैक एव प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 3 अकेला 2.5300हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner